नम्बर / वर्ष 06.2014 अनवानी सरकार बनाम रल्दू

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
7/2/2024	पत्रावली पेश हुई पैराकार राज एवं अप्रार्थी संख्या 4 के वारिसान शंकरलाल विमला पि0 तोलाराम , गोमतीदेवी पत्नी तोलाराम जाति जाट साकिन नोहर जरिये अधिवक्ता उपस्थित पैराकार राज ने अप्रार्थी संख्या 4 के वारिसान के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का जबाब पेश किया जबाब शामिल मिसल किया गया।	

उभयपक्षों के निवेदन पर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी की बहस सुनी गई अप्रार्थी संख्या 4 के वारिसान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 24 के खसरा नम्बर 181 की 7.12 हैक्टयर बारानी प्रथम भूमि अप्रार्थी संख्या 4 के विधिक वारिसान के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि नियमित राजस्व वाद में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 20.02.2019 जो प्रार्थीगण के पक्ष में पारित की गई के आधारं पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है जिसकी पुष्टि माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 16.03.2020 के द्वारा की गई है तथा जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में होने पर आपसी सहमति के आधार पर खारिज की जा चुकी है अर्थात अप्रार्थी संख्या 4 के वारिसान के नाम भूमि राजस्व वाद मे पारित निर्णय दिनांक 20.02.2019 के आधार पर हुई । 2/

प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट में वर्णित भूमि सक्षम न्यायालय के आदेश के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा जिस आदेश से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जोहड पायतन दर्ज की गई थी उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने खरिज किया जा चुका है। प्रार्थना 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत त्रुटि से राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को संशोधन किया जा सकता है सक्षम न्यायालय के आदेश से राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को संशोधन नही किया जा सकता है तथा पेरोकार राज ने मृतको के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकारों को पक्षकार नही बनाया गया है अप्रार्थी संख्या 4 तोलाराम का देहान्त काफी समय पूर्व हो चुका है जिसके विधिक पक्षकार अप्रार्थीगण को आदिनांक तक पक्षकार नही बनाया गया है मृतक के विरूद्व प्रार्थना पत्र विचाराधीन नही रह सकता है अर्थात प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका है अतः अप्रार्थी संख्या 4 के वारिसान का प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना 136 एलआरएक्ट खारिज फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट में वर्णित भूमिया पूर्व में जोहड पयातन दर्ज थी अप्रार्थीगण का वाद भूमि के सम्बध में किसी प्रकार के अधिकार तय नही हुऐ हैं कानूनी प्रक्रिया विचाराधीन है प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमिया पूर्व में भी 136 एलआरएक्ट के द्वारा ही जोहड पयातन दर्ज की गई थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी/गैरखातेदारी दर्ज की गई है जिन्हे राज्यहित में पुनः जोहड पयातन दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमिया पूर्व में जोहड पायतन दर्ज रहने के कारण पुनः राजस्व रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया पेरोकार राज ने प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट में वर्णित भूमियों को जोहड पायतन दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत केवल वही अंकन संशोधन कियां जा सकता है जो सहवन/लिपिकिय त्रुटी से गलत अंकन हो गया हो

हस्तगत प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया की तत्तकालीन उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा दिनांक 11.09.1975 को आदेश पारित किया गया की रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 893/710 व 706 (पैरा संख्या 2 में वर्णित)भूमियो को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन जोहड पायतन धोषित किया गया जिसकी पालना में उक्त खसरों की भूमिया को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन जोहड पायन दर्ज किया था।

तत्तकालीन उपखण्ड अधिकारी [illegible] आदेश दिनांक 11.09.1975 के विरूध अप्रार्थीगणों /अप्रार्थी संख्या 4 [illegible] के द्वारा विभिन्न राजस्व न्यायालय मे अपील प्रस्तुत [illegible] माननीय उच्च न्यायालय [illegible] में रिट याचिका 1321/87, 1368/87, 1369/87 आदि पेश की गई मा[illegible] उच्च न्यायालय जोधपुर में विभिन्न रिट याचिकाओ[illegible] एक साथ दिनांक 27.0[illegible] को निर्णय पारित किया जाकर रिट याचिका स्वीकार की जाकर तत्तकालीन उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 11.09.1975 एवं अन्य समस्त निर्णयों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:04 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था यदि किसी प्रकार का ऐतराज था तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.02.1997 की अपील सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिये थी। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 27.02.1997 की पालना में अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 11.09.1975 से पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 04.01.2013 को 11.09.1975 की पूर्व स्थिति बहाल करने के आदेश होने पर अप्रार्थीगण/अप्रार्थी संख्या 4 को राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज किया गया।

तत्तपश्चात अप्रार्थी संख्या 4 के वारिसान के द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया जो बाद सुनवाई दिनांक 20.02.2019 को अन्तिम डिक्री किया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 के वारिसान को भूमि पुख्ता आवंटन कर जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु प्रेषित की गई थी।

उक्त विवेचन से पूर्णत्या साबित है कि जिस आदेश दिनांक 11.09.1975 से भूमि जोहड पायतन दर्ज की गई थी को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.1997 द्वारा निरस्त किया जा चुका है तत्तपश्चात उपखण्ड अधिकारी के आदेश/निर्णय/डिक्री की पालना में अप्रार्थी संख्या 4 के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट में वर्णित भूमिया स्वय पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (नामान्तकरण /जमाबन्दीयो) आदि के अवलोकन से पाया की समस्त भूमिया सक्षम न्यायालय के आदेश से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसकी सक्षम न्यायालय मे समय पर अपील की जा सकती है।

पेरोकार राज के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अप्रार्थी संख्या 4 के वारिसान के द्वारा प्रस्तुत निर्णयों के अनुसार प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट में वर्णित भूमिया सक्षम न्यायालय के आदेश/निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है संक्षम न्यायालय के निर्णय /आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन को 136 एलआरएक्ट के तहत संशोधन नही किया जा सकता है।

136 एलआरएक्ट के तहत राजस्व रिकार्ड में त्रुटि से हुए अंकन को बाद सुनवाई संशोधन किया जा सकता है न्यायालयों के आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन संशोधन की श्रेणी में नही आता है।

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:04 IST
Reason: SelfAttested